न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–65/2017/भीलवाड़ा (2017/00074)

1. श्रीमती लाड देवी पत्नी कैलाशचन्द सुवालका, निवासी कांटी, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. कालू पुत्र जग्गा दरोगा,
2. गणेशी पुत्र जग्गा दरोगा,
3. नीला पुत्र जग्गा दरोगा,
4. श्रीमती नन्दु पत्नी जग्गा दरोगा,
   समस्त निवासी कांटी, तह0 कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
5. श्रीमती प्रेम पुत्री गोपाल दरोगा पत्नी विरेन्द्र दरोगा, निवासी सोडिणस, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
6. श्रीमती मूली पुत्री गोपाल दरोगा पत्नी लाला दरोगा, नि0 छीतरसिंह जी का खेड़ा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटडी, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 4.3.2015 प्रकरण संख्या 06/2013 .

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री गोविन्द शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–26.12.2017.

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 24.3.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के अंर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार, कोटड़ी बमामले नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कांटी में खाता संख्या 191 में खसरा संख्या 279/1, 291, 292, 293 कुल किता 4 कुल रकबा 7-19 बीघा भूमि स्थित होकर उक्त आराजियात संवत् 2054 में मोती, जग्गा, रावता व गोपाल के नाम दर्ज अभिलेख थी। इनमें से एक भाई मोतीलाल लाऔलाद फौत हो जाने के उपरांत मोतीलाल का हिस्सा तीनों भाईयों के नाम दर्ज हो गया । उक्त आराजियात में तीनों भाई 1/3, 1/3 हक, हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करने लगे । रावता के जीवनकाल में उसकी पत्नी का देहांत हो गया एवं रावता के कोई औलाद नहीं होने से रावता ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कालू के नाम दिनांक 25.3.2001 को एक वसीयत निष्पादित कर उसकी समस्त चल-अचल सम्पति को कालू पिता जग्गा के नाम पर वसीयत कर दी थी और उक्त वसीयत अनुसार रावता की समस्त आराजियात कालू के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु उक्त विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 971 रावता की मृत्यु होने के उपरांत खोला गया जो रेस्पो0 संख्या 1/वादी के नाम न खोलकर तत्समय जीवित रहे दोनों भाई जग्गा व गोपाल के नाम पर खोला गया जिससे उक्त आराजियात 1/2 गोपाल व 1/2 जग्गा के नाम दर्ज हो गई जबकि वसीयत अनुसार 1/3 रावता के हिस्से पर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कालू का नाम अभिलिखित होना चाहिये था । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कालू ने अपने अपीलमीमों में यह भी कथन किया कि वादी के पक्ष में जो वसीयत रावता ने की थी उसके बारे में तहसीलदार, कोटड़ी के समक्ष एक प्रकरण भी दर्ज हुआ जिसमें बाद जांच तहसीलदार ने निर्णय दिनांक 8.8.2011 पारित कर वसीयतकर्ता रावता की चल-अचल सम्पति में वसीयत गृहिता कालू पिता जग्गा के नाम दर्ज करने के आदेश हुए । उक्त नामांतकरण संख्या 971 के जरिये रावता का हिस्सा जग्गा व गोपाल के नाम दर्ज होने के बाद उक्त विवादित आराजियात में से गोपाल के नाम दर्ज हिस्से को गोपाल ने लाडदेवी पत्नी कैलाश चन्द्र सुवालका को विक्रय कर दिया व इसका नामांतकरण भी लाड देवी के नाम खुल गया लेकिन उक्त सारी कार्यवाही प्रारंभ से अवैध एवं शून्य होने से उक्त खोला गया नामांतकरण भी अवैध है ।

2- प्रकरण में अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा में अपील मीमों में यह भी कथन किया कि अपील अपीलांट/रेस्पो0 संख्या 1 स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 अपास्त किया जावे एवं उक्त नामांतकरण में गलत तौर पर गोपाल व जग्गा का हक हिस्सा दर्ज कर दिया गया है उसे हटाया जाकर विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कालू के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें । अधी0न्याया0 ने दिनांक 4.3.2015 को निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 कालू की अपील स्वीकार कर तहसीदलार, कोटड़ी द्वारा स्वीकृत

नामांतकरण संख्या 971 आदेश दिनांक 13.12.2004 को खारिज करने के आदेश पारित किये तथा प्रकरण तहसीलदार, कोटड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मामलें में समुचित जांच कर पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर नियमानुसार वसीयत एवं वारिसान के फेक्ट्स को मध्यनजर रखकर 30 दिवस में अजसरे नामांतकरण निर्णित करे । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

4- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत् रेस्पो0 संख्या 1 ने स्वंय को खातेदार रावता के द्वारा अंपजीकृत वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी होने बाबत् क्लेम किया है तथा रेस्पो0 संख्या 1 ने तथाकथित अपंजीकृत वसीयतनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित नहीं कराया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 कालू के पक्ष में खातेदार कालू द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्व न्यायालय को किसी भी रूप में वसीयत की वैधता का परीक्षण का अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12. 2004 के विरूद्ध लगभग 9 वर्षो के भारी विलंब उपरांत अपील प्रस्तुत की है जबकि खातेदार गोपाल पुत्र लक्ष्मण द्वारा स्वंय के हिस्से का अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत बैनामा निष्पादित कर कब्जा संभलाया जा चुका है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण संख्या 1081 दिनांक 6.11.2010 को स्वीकृत हो चुका है तथा इसी क्रम में अपीलांट द्वारा अपना हिस्सा रहन रखे जाने से रहन का नामांतकरण संख्या 1093 दिनांक 25.6.2011 से बैंक के नाम रहन दर्ज होने का अंकन भी किया जा चुका है । इन सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को थी परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने 9 वर्षो के भारी विलंब के बाद अपील प्रस्तुत की है । अधी0न्याया0 ने भी 9 वर्षो के भारी विलंब को जा0दी0 के आदेश 41 नियम 3-ए के प्रावधानों के विपरीत मियाद के बिन्दु दरकिनार कर मियाद को कण्डोन करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने खातेदार द्वारा अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत बैनामा निष्पादित किये जाने के उपरांत अपील स्वीकार कर अपीलांट के पूर्वाधिकारी के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 971 को निरस्त किये जाने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर रावता का हिस्सा, जो कि प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया था, को बिना किसी आधार के शून्य होना वर्णित करते हुए खातेदारान द्वारा

अपीलांट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र एवं विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1081 को शून्य होना वर्णित किया है जो विधि विरूद्ध है । राजस्व न्यायालय को वसीयत/गोदनामे जैसे जटिल प्रश्नों के विनिश्चयन का अधिकार नहीं है । वसीयतनामा अथवा गोदनामा जैसे जटिल प्रश्नों का निस्तारण नामांतकरण की कार्यवाही में नहीं किया जाकर नियमित वाद में ही किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर वसीयत की वैधता का परीक्षण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 4.3.2015 अपास्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 एवं नामांतकरण संख्या 1081 दिनांक 6.12.2010 यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान करावें । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2014 पेज 840, आर0एल0डब्ल्यू0 2007 पेज 133, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 650, आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 1041, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1355, आर0आर0टी0 2016 पेज 1089, सुप्रीम कोर्ट 2004 (1) पेज 541 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने से इंकार कर रखा था तथा यह आश्वासन दिया कि आवश्यकता होने पर निर्णय की सूचना से अवगत करवा देंगे, किन्तु अधिवक्ता द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 4.3.2015 की जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी । प्रार्थिया को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हाल ही में दिनांक 30.6.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद में राजस्व अभियान के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वंय के नाम वसीयतनामा के आधार पर एवं आक्षेपित निर्णय को आधार बताते हुए प्रकरण में कार्यवाही नहीं किये जाने तथा स्वंय के नाम नमांतकरण स्वीकृत किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क कर विचाराधीन अपील के बारे में जानकारी प्राप्त कर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 3.7.2017 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.7.2017 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर रूपयों की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

6- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार चारों भाई मोती, जग्गा, रावता एवं गोपाल थे जिनका प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा था । इनमें से एक भाई मोतीलाल नाऔलाद फौत होने पर मोती का हिस्सा शेष तीनों भाईयों के नाम दर्ज हो गया तथा तीनों भाईयों का विवादित आराजियात में 1/3, 1/3 हिस्सा

होकर तीनों इसी अनुसार काबिज काश्त रहे । खातेदार रावता ने अपने जीवनकाल में रेस्पो0 संख्या 1 कालू के नाम दिनांक 25.3.2001 को वसीयतनामा निष्पादित कर समस्त चल-अचल सम्पति कालू पुत्र जग्गा के नाम अंतरित कर दी थी । खातेदार रावता की मृत्यु बाद रावता की आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 के नाम जरिये वसीयत दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु तहसीलदार ने रावता की विवादित आराजियात उसके दोनों भाई जग्गा एवं गोपाल के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 को दर्ज कर दी । यह नामांतकरण गलत स्वीकृत किया गया था क्योंकि रावता ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की आराजियात बाबत् रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी थी । नामांतकरण संख्या 971 से गोपाल के नाम उक्त आराजियात दर्ज होने पर गोपाल ने विवादित आराजियात अपीलांट श्रीमती लाडदेवी पत्नि कैलाश चन्द्र सुवालका को जरिये पंजीकृत विक्रय कर दी तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में अपीलांट के नाम नामांतकरण संख्या 1081 स्वीकृत किया गया है । प्रश्नगत भूमि में जब नामांतकरण संख्या 971 ही प्रारंभ से अवैध एवं शून्य था तो इसके आधार पर गोपाल द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र भी प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि रावता द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 कालू ने तहसीलदार, कोटडी के समक्ष प्रकरण भी दर्ज कराया था जिसमें तहसीलदार ने बाद जांच दिनांक 8.8.2011 को निर्णय पारित कर वसीयतकर्ता रावता की चल-अचल सम्पति वसीयत गृहिता कालू पिता जग्गा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी खातेदार रावता की स्वअर्जित सम्पति थी जिसे उसको किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था, तथा वसीयत की दिनांक से ही विवादित आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । रावता द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत के प्रभावी रहते रावता की मृत्यु उपरांत वसीयत गृहिता कालू के पक्ष में निष्पादित वसीयत को नजरअंदाज कर जग्गा एवं गोपाल के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 971 प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य था तथा अवैध एवं शून्य नामांतकरण के आधार पर अपीलांट को किया गया विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर स्वीकृत बाद के नामांतकरण भी प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य है, इसलिये अवैध एवं शून्य नामांतकरण के आधार पर किये गये विक्रय पत्र एवं स्वीकृत नामांतकरणों को चुनौती दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

7- विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 4.3.2015 की पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.6.2015 को आदेश पारित किया जा चुका है तो अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में इन सभी तथ्यों को छिपाकर अपील पेश की है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन

किया कि अपीलांट ने प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र में विलंब के संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये से अपास्त की जावे ।

8- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, कोटडी ने कब्जे की जांच किये बिना नामांतकरण संख्या 971 स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट जब तक रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सक्षम न्यायालय से अन्यथा साबित नहीं कराते तब तक उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

9- हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मोती, जग्गा, रावता व गोपाल के नाम दर्ज थी, इनमें से एक भाई मोतीलाल लाऔलाद फौत होने पर मोतीलाल का हिस्सा शेष तीनों भाईयों के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया । शेष बचे तीन खातेदारों में रावता की पत्नि का देहांत उसके जीवनकाल में हो गया था तथा रावता की नाऔलाद मृत्यु हुई थी । रेस्पो0 संख्या 1 कालू ने अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रावता ने अपने जीवनकाल में रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 25.3.2001 को वसीयत निष्पादित कर समस्त चल-अचल सम्पति कालू पिता जग्गा के नाम पर वसीयत कर दी थी । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खातेदार रावता की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 शेष रहे दो भाई जग्गा व गोपाल के नाम खोला गया है । नामांतकरण संख्या 971 स्वीकृत होने के उपरांत विवादित आराजियत में से गोपाल ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.6.2011 को अपीलांट लाड देवी को विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 1081 दिनांक 6.12.2010 स्वीकृत किया गया है तत्पश्चात् जरिये नामांतकरण संख्या 1093 दिनांक 25.6.2011 से विवादित भूमि में निहित लाडदेवी का संपूर्ण हिस्सा बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पारोली के नाम रहन से दर्ज है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में तहसीलदार (भू0अ0) कोटड़ी के निर्णय दिनांक 8.8.2011 को अवलोकन किया गया ।

इस निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो संख्या 1 कालू ने काका रावता पिता लक्ष्मण दरोगा का दिनांक 10.5.2004 को स्वर्गवास होने पर स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में रावता द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 25.3.2011 के आधार पर रावता की आराजियात उसके नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार, कोटड़ी ने निर्णय दिनांक 8.8.2011 को पारित कर निर्णयानुसार वसीयकर्ता की वसीयत को विधिसम्मत् मानकर ग्राम कांटी की आराजी संख्या 479/73 रकबा 5 बीघा, आराजी संख्या 279/4 रकबा 17 बीघा में वसीयतकर्ता का 6/17 हिस्सा वसीयतगृहिता कालू पिता जग्गा के नाम पर दर्ज करने के आदेश पारित किये है ।

11- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4.3. 2015 को निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 कालू की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, कोटड़ी को इन निर्देशों के साथ तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया कि मामलें में समुचित जांच कर, पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर नियमानुसार वसीयत एवं वारिसान के तथ्यों को मध्यनजर रखकर 30 दिवस के भीतर अजसिरे नामांतकरण निर्णित करने की कार्यवाही करे । तहसीलदार, कोटड़ी को प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर तहसीलदार, कोटड़ी ने दिनांक 20.6. 2015 को निर्णय पारित किया जिसमें अंकित किया कि '' आज लोक अदालत में जानकारी में आया कि विवादित विवाद विषयवस्तु के संबंध में पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद संख्या 129/2012 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के वास्तविक विवादों का अंतिम निर्णय होना है । ऐसी स्थिति में मूल वाद के विचाराधीन होने के कारण नामांतकरण प्रोसिडिंग को जारी रखना उचित नहीं है । अतः मौजूदा रिमाण्ड प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।''

12- प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य वसीयत को लेकर विवाद है तथा विवादित आराजियात के संबंध में अपीलांट लाड देवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 129/2012 अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 भी विचाराधीन है । उक्त वाद में रेस्पो0 संख्या 1 कालू भी पक्षकार है तथा उक्त वाद में जब तक पक्षकारों के वास्तविक विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 4.3.2015 की पालना में नामांतकरण की कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत् नहीं होने से तहसीदलार, कोटड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 20.6.2015 में मूल वाद के विचाराधीन रहते नामांतकरण की प्रोसिडिंग को स्थगित रखना उचित माना है । तहसीलदार, कोटड़ी का उक्त निर्णय विधिसम्मत् है किन्तु वर्तमान में विवादित भूमि का अन्यंत्र बैचान होने की स्थिति में और अधिक वाद बाहुल्यता न बढ़े इस हेतु हम नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 को विवादित करार दिया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 4.3.2015 आंशिक संशोधन योग्य होकर नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 को विवादित करार दिये जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 65/2017 (2017/00074) बउनवानी श्रीमती लाड देवी बनाम कालू व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 06/2013 बउनवान कालू बनाम गणेशी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 4.3.2015 आंशिक संशोधन किया जाकर नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 को अपास्त करने के बजाय नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 वाके ग्राम कांटी, पटवार हल्का कोठाज, तह0 कोटड़ी को उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 129/2012 के निर्णय तक विवादित करार दिया जाता है । तहसीलदार, कोटड़ी नियमानुसार नामांतकरण संख्या 971 दिनांक 13.12.2004 ग्राम कांटी, पटवार हल्का कोठाज, तह0 कोड़ी में विवादित होने का नोट राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकित करे । निर्णय की प्रति तहसीलदार, कोटड़ी को पालनार्थ प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर